न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—233/2019/225 (2019/00233)

1. ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 हालूसिंह, जाति रावत, निवावसी ग्राम नया बड़गांव, तह0 एवं जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बीरमसिह पुत्र स्व0 हालूसिंह,
2. श्रीमती तीजी पत्नि स्व0 हालूसिंह,
3. श्रीमती कमली पत्नि किशनसिंह पुत्री स्व0 हालूसिंह, परबतपुरा, अजमेर।
4. मंगलसिंह पुत्र स्व0 हालूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम नया बड़गांव, तहसील व जिला अजमेर ।
5. उस्मान गनी खान पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद खान, जाति कायमखानी मुसलमान, निवासी गुलाबबाड़ी, नाका मदार, श्री नगर रोड़, अजमेर ।
6. सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 13.7.2017 अंतर्गत प्रार्थना संख्या 17/2010.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री विजयसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 5.
4. रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 13.7.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. ग्राम बड़गांव, तहसील व जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या नया 150 पुराना 158 कुल खसरा 19 कुल रकबा 17—18—10 बीघा विवादित भूमि जिसके हाल जमाबंदी संवत् 2072—75 के खाता संख्या नया/पुराना 215 का प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारी एवं भौतिक धारण की भूमि है जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा एक वाद अपीलांट एवं अन्य विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में समक्ष पेश किया गया तथा साथ में एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 भी पेश किया किया जिसे दर्ज करने पर अपीलांट मय अधिवक्ता उपस्थित आया तथा वादी के कथनों से इंकार किया एवं

निवेदन किया कि वादी मात्र अपीलाट को हैरान परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्तनीय है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दिनांक 17.4.2017 को दिनांक 10.7.2017 की तारीख पेशी प्रदान करने एवं दिनांक 10.7.2017 को दिनांक 11.9.2017 की नियत दिनांक से पूर्व ही फद अहकाम में फेरकार कर दिनांक 8.6.2017 को लोक अदालत में नियत कर राजीनामा नही होने पर दिनांक 18.7.2017 की तारीख पेशी प्रदान कर दिनांक 13.7.2017 को लोक अदालत नही होने के बावजूद लोक अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनना अंकित कर बिना विधि विधान का परीक्षण किये बिना अपीलांट की सहमति के झूंठी हाजरी दर्ज कर अपना आदेश दिनांक 13.7.2017 को जारी कर करते हुए को पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादी ने मात्र अपीलांट जो रिकार्डेड सहखातेदार है को हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है । धारा 212 का प्रार्थना पत्र भी वादपत्र में किये गये अभिवचनों के आधार पर ही अंकित कर प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई महत्व नही है फिर अधी0न्याया0 ने दिनांक 17.4.2017 को दिनांक 10.7.2017 की तारीख पेशी प्रदान करने एवं दिनांक 10.7.2017 को दिनांक 11.9.2017 की नियत दिनांक से पूर्व ही फर्द अहकाम में फेरबदल कर दिनांक 8.6.2017 को लोक अदालत में नियत कर राजीनामा नहीं होने पर दिनांक 18.7.2017 की तारीख पेशी प्रदान कर उस दिन लोक अदालत नहीं होने के बावजूद लोक अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनना अंकित कर बिना विधि विधान का परीक्षण किये बिना अपीलांट की सहमति के झूंठी हाजरी दर्ज कर न्यायिक दृष्टांत 2018 आर0बी0जे0 पेज 676 के विरूद्ध जाकर अपना आदेश दिनांक 18.7.2017 को जारी करते हुए अधी0न्याया0 ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने बाबत् तीनों आज्ञापक बिन्दुओं पर कोई विवेचन नही किया है जबकि उन्हें न्यायिक दृष्टांत 1997 आर0बी0जे0 पेज 235 के अनुसार स्पष्ट रूप से पृथक पृथक तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति को तय करना आवश्यक है । न्यायिक दृष्टांत 2012 आर0आर0डी0 पेज 20, आर0आर0टी0 2011 पेज 1, आर0बी0जे0 2012 पेज 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में अंतिम निर्णय गुणावगुएण पर करना आवश्यक है । मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् पारित अंतरिम आदेश को अंतिम नही किया जा सकता है, के विपरीत जाकर तथा न्यायिक दृष्टांत 2004 आर0बी0जे0 पेज 80, आर0आर0डी0 1990 पेज 593, आर0आर0टी0 2003 पेज 1267 एवं 2016 आ0बी0जे0 पेज 224 के विपरीत जाकर अपीलांट जो कि रिकार्डेड खातेदार है, को पाबंद करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2018 पेज 601 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0टी0 2018 पेज 801 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2006 पेज 679, आर0बी0जे0 2014 पेज 44, आर0आर0टी0 2008 पेज 1183, आर0आर0डी0 2002 पेज 37, आर0एल0डब्ल्यू0 2002 पार्ट–2 पेज 479 सुप्रीम कोर्ट, आई0ए0आर0 1998 पेज 3222 एवं डी0एन0जे0 2009 पेज 232 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजस्थान से बाहर जाता रहता है तथा प्रार्थी के अभिभाषक ने आवश्यकता होने पर बुलाने हेतु आश्वासन प्रदान कर रखा था इस कारण प्रार्थी इस विश्वास में रहा कि प्रार्थी के अभिभाषक उसे वधिवित् सूचित कर देगें । जब भी प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से दूरभाष पर संपर्क किया तो उनके द्वारा तारीख पेशी प्रदान की जाती रही परन्तु यह नही बताया कि प्रार्थना पत्र निर्णित हो चुका है। प्रार्थी को दिनांक 1.7.2019 को ग्राम में बातचीत सुनने में आई कि प्रार्थना पत्र निर्णित हो चुका है तो अपने अभिभाषक से संपर्क किया तो प्रार्थी को बताया कि प्रार्थना पत्र निर्णित हो चुका है तथा आगे अपील करनी होगी। तत्पश्चात् प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन पेश किया तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अविलंब यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाकिव है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जावे।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 एवं अपीलांट एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में भाई–बहिन एवं माता श्रीमती तीजी जो कि स्व0 हालूसिंह के वारिसान है, जिनकी कृषि भूमि वाके ग्राम बड़गांव तहसील अजमेर में अवस्थित है जो कि पूर्व में उक्त खातेदार हालू वल्द छीतर के नाम खातेदारी में दर्ज थी । हालूसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् वर्णित समस्त आराजियात उनके विधिक वारिसान यानि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम जरिये विरासत में प्रत्येक को 1/5, 1/5 हक हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से बराबर–बराबर प्राप्त हुई है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 9.2.2010 को वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 5 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 198/2012 प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 5 के विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 26.3.2012 को पारित किया जाकर अधी0न्याया0 को उक्त प्रकरण 60 दिवस में निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था । इस प्रकार उक्त आदेश के प्रभावी रहते अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध जवाब, दस्तावेज आदि का अवलोकन कर प्रकरण में प्रथमदृटया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर गौर किया जाकर वादग्रस्त आराजियात के संदर्भ में ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण यानि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 5 के विरूद्ध मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 13.7.2017 को आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने आर0बी0जे0 2020 पेज 82 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संदर्भ में रेस्पो0 संख्या 3 श्रीमती कमली पुत्री हाल द्वारा भी अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध अलग बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमें भी अधी0न्याया0 द्वारा उक्त रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में स्थगन आदेश पारित नही किये जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 445/2012 पेश की गई थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 4 तथा 5 के विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 29.6.2012 को पारित किया जाकर अधी0न्याया0

को उक्त प्रकरण का 60 दिवस में निस्तारण किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया है । इस प्रकार उक्त आदेश के प्रभावी रहते अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध जवाब, दस्तावेज का अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील भारी मियाद बाहर करीबन 2 वर्ष के उपरांत पेश की है जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र मे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । अपीलांट ने अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अधी0न्याया0 के आदेश से अपीलांट को किस प्रकार अपूर्णीय क्षति कारित हुई है, अथवा उसके संवेधानिक एवं विधिक अधिकारों का हनन हुआ है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रकरण वर्ष 2010 से लंबित होकर वर्ष 2017 में गुणावगुण पर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजों के अनुसार निर्णित किया गया है जो विधिसम्मत् आदेश है । ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने से किसी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । विवादित आराजियात का मूल खातेदार स्व0 हालूसिंह जाति रावत था । अपीलांटस एवं रेस्पो0 मृतक खातेदार स्व0 हालूसिंह के विधिक वारिसान होकर एक ही परिवार के सदस्य है । पक्षकारान के मध्य मृतक खातेदार स्व0 हालूसिंह की आराजियात को लेकर विवाद है । प्रार्थी/रेस्पो0 बीरम ने विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की होने का कथन कर विवादित भूमि का आज दिवस तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के न्यायिक बंटवारा नहीं होने का कथन कर बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की होने से मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात की सुरक्षा हेतु उभयपक्ष को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.7.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर